



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास भवन, गाजियाबाद।

(ISO 9001 : 2008 एवं ISO 14001:2004 प्रमाणित संस्थान)

संस्क- 103/प्रवर्तन जोन-1/2020

दिनांक 15/12/2020

परिशिष्ट-6 प्रपत्र 'ब' भाग-द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र

(आवेदन पत्र परिशिष्ट-6-प्रपत्र 'ब' भाग-अ, ब, स की फोटोकॉपी साथ में संलग्न है।)

खसरा सं-982 ग्राम-नूरनगर, राजनगर एक्सप्लेन गाजियाबाद पर ग्रुप हाउसिंग हेतु स्वीकृत मानचित्र सं-1173/जोन-1/11-12 दिनांक 30.01.2011 व संशोधित स्वीकृत मानचित्र संख्या-373/जोन-1/जी०एच०/14-15 दिनांक 01.10.2014 स्वीकृत दिनांक 13.04.2015 व 27.02.2018 पर मै० बांके बिहारी इन्फ्रा होम्स प्रा०लि० द्वारा निर्मित ग्रुप हाउसिंग "अग्रवाल हाईट्स" के ब्लॉक-सी एवं सम्पूर्ण ग्रुप हाउसिंग परियोजना के पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु दिये गये आवेदन दिनांक 22.09.2020 के प्रमाण-पत्रों का परीक्षण सख्तीय अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत समन मानचित्र के अनुरूप सही पाये जाने पर पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने की स्वीकृति उपखण्ड महोदय द्वारा दिनांक 09.12.2020 को प्रदान की गई है। अतः उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15क(2) के अन्तर्गत मै० बांके बिहारी इन्फ्रा होम्स प्रा०लि० "अग्रवाल हाईट्स" द्वारा खसरा सं-982 ग्राम-नूरनगर, राजनगर एक्सप्लेन गाजियाबाद पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग के ब्लॉक-सी एवं सम्पूर्ण ग्रुप हाउसिंग परियोजना का "पूर्णता प्रमाण-पत्र" पृष्ठ भाग पर उल्लेखित शर्तों/प्रतिबन्धों क्रम संख्या-1 से 16 के अधीन जारी किया जाता है।

प्रभारी, प्रवर्तन जोन-1